

## विज्ञापित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के लिए जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित विभिन्न न्यायालयों एवं अधिकरणों में प्रैक्टिस करने वाले समस्त विधि व्यवसायियों/अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पैनल अधिवक्ता के रूप में चयन करने हेतु विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

विधि व्यवसायी/अधिवक्तागण बार काउंसिल से पंजीकृत को न्यूनतम तीन वर्षों का विधिज्ञ का अनुभव होना आवश्यक है।

नोट:-

1. विधि व्यवसायी से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम 1961 का 25 की धारा 2 के खण्ड झ में यथा परिभाषित है।
2. पैनल, सिविल, दाण्डिक, राजस्व, श्रम विधि, वैवाहिक वाद, किशोर न्याय आदि के लिए पृथक-पृथक तैयार किये जाएंगे।
3. उक्त पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा, जो कुल तीन वर्ष तक नवीनीकृत किया जा सकेगा।
4. पैनल अधिवक्तागण का पैनल बनाते समय एससी/एसटी, महिला और दिव्यांग अधिवक्तागण का अनुपातिक स्थान प्रदान किया जाएगा।
5. आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
6. आवेदक जिस भी वर्ग में आवेदन कर रहा है, उस वर्ग के ऐसे पांच प्रकरणों के निर्णय संलग्न करे जिनमें आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गयी हो और ऐसा प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया गया हो।
7. रिटेनर अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय में बैठकर विधिक सेवा प्रदान करने हेतु तत्पर रहना होगा।
8. आवेदक विधिक सेवा प्रदत्त प्रकरणों में पैरवी हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा और ऐसे किसी भी प्रकरण में पैरवी नहीं करेगा, जिनमें विरुद्ध पार्टी को विधिक सहायता प्रदान की गयी है।
9. आवेदक इस तथ्य की अण्डर टेकिंग देगा कि वह पैनल/रिटेनर अधिवक्ता के रूप में चयनित किये जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं उसके तहत बनाये गये नियम, विनियम एवं बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की निष्ठापूर्वक पालन करेगा। पैनल/रिटेनर अधिवक्ता के रूप में जो प्रकरण उसे पैरवी के लिए सुपुर्द किये जायेंगे उनसे संबंधित व्यक्तियों से कोई शुल्क, पारिश्रमिक व अन्य मूल्यवान प्रतिफल की मांग नहीं करेगा।
10. पैनल अधिवक्तागण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं उनके तहत बनाये गये नियम, विनियम एवं उनके अन्तर्गत बनायी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं समय समय पर जारी निर्देशों एवं शर्तों के अधीन विधिक सेवाएं प्रदान करेंगे।
11. पैनल अधिवक्तागण को शुल्क एवं मानदेय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2010 एवं इस सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार देय होगा।
12. निर्देशित कार्य में लापरवाही बरते जाने पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये पैनल अधिवक्ता की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी, जिसके प्रति कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

इच्छुक आवेदक को अपना आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में मय दस्तावेज स्वयं अथवा डाक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति जहाँ पैनल में सम्मिलित होना चाहता है, के कार्यालय में दिनांक 14.08.2020 तक प्रस्तुत करना होगा। परन्तु उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

दिनांक:-

(दिनेश कुमार शर्मा)

अध्यक्ष/जनप्रद न्यायाधीश  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद।

संलग्न:- आवेदन व अण्डरटेकिंग का प्रारूप।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वेबसाईट, जिला न्यायालय, गाजियाबाद।
2. बार एसोसिएशन गाजियाबाद।
3. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4. सचिव/तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति, सदर, मोदीनगर।
5. नोटिस बोर्ड बार एसोसिएशन गाजियाबाद।





“प्रारूप-क”

पैनल अधिवक्ता हेतु आवेदन पत्र

1	नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	सम्पूर्ण पत्र व्यवहार का पता	
4	मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी.	
5	बैंक खाता नम्बर, ब्रांच का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड	
6	वकालत का मुख्य स्थान	
7	एनरोलमेन्ट नम्बर मय वर्ष	
8	वकालत के अनुभव की अवधि	
9	वकालत का विनिर्दिष्ट क्षेत्र विशेष योग्यता/विषय	
10	वार्षिक आय	
11	ऐसे मामलों का प्रकार जिसके संबंध में आपको मामला सौंपे जाने से अधिमान्यता (Preference) दी जा सके (इस सम्बन्ध में वृत्तिक (Professional) अनुभव का सबूत व निर्णय की प्रति संलग्न करें।)	
12	क्या आप स्वयं किसी न्यायिक प्रकारण में किसी न्यायालय या लोक अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पक्षकार है या रहें हैं? (यदि हाँ तो विवरण दें)	
13	क्या आप बार काउन्सिल या बार एसोशियेशन के किसी पद पर हैं अथवा रहें हैं? (यदि हाँ तो विवरण दें)	
14	क्या आप पैनल अधिवक्ता के रूप में विधिक सेवाओं के प्रचार-प्रसार की टीम में सम्मिलित होना चाहते हैं?	
15	क्या आप रिटेनर अधिवक्ता के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के फंट ऑफिस पर पक्षकारों को निःशुल्क विधिक सहायता देना चाहते हैं?	
16	क्या आप बेल/रिमाण्ड अधिवक्ता के रूप में नियुक्त होकर बेल/रिमाण्ड के समय अपनी सेवायें देने हेतु तैयार हैं?	
17	क्या आप विधिक सहायता के अधीन प्रकरण केस टू केस बेसिस पर (Lgal Aid) अधिवक्ता नियुक्त होकर प्रकरण के निर्णय तक कार्य करने हेतु तत्पर हैं?	
18	अन्य कोई जानकारी आप देना चाहें।	

मैं यह वचन देता हूँ कि उपरोक्त जानाकारी पूर्णतः सत्य है और इसमें कुछ भी असत्य नहीं है।

दिनांक:-

स्थान:-

संलग्न:- 1. अण्डर टेकिंग प्रमाण-पत्र।

2. अनुभव प्रमाण-पत्र।(प्रकरण/विषय विशेष की रुचि के उल्लेख सहित)

3. निर्णय की प्रतियाँ।

विधि व्यवसायी के हस्ताक्षर

विवरण



## अण्डर टैकिंग

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....

एनरोलमेंट नम्बर..... अण्डर टैकिंग देता हूँ/दूती हूँ कि मैं पैनल/रिटेनर अधिवक्ता के रूप में चयनित किये जाने पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं उसके तहत बनाये गये नियम, विनियम एवं बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों की निष्ठा पूर्वक पालन करूंगा/करूंगी। पैनल/रिटेनर/विधिक सहायता अधिवक्ता के रूप में जो प्रकरण मुझे पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा सुपुर्द किये जावेंगे उनसे संबंधित व्यक्तियों से किसी प्रकार का शुल्क, पारिश्रमिक व अन्य मूल्यवान प्रतिफल की माँग नहीं करूंगा/करूंगी और न ही प्राप्त करूंगा/करूंगी।

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि ऐसे किसी भी प्रकरण में पैरवी नहीं करूंगा/करूंगी, जिनमें विरुद्ध पार्टी को विधिक सहायता प्रदान की गयी हो।

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा जो विधिक सेवा, जन जागृति, प्रशिक्षण एवं अन्य जनोपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए जावेंगे, उनमें उपस्थित रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक:-

स्थान:-

विधि व्यवसायी के हस्ताक्षर